

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र - 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है :-

| क्र सं | नाम कार्मिक | विषय | विद्यालय का नाम | जन्मतिथि | सेवनिति |
|--------|-------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|
| 1 | श्री ब्रह्मा सिंह | अंग्रेजी | राउमावि बनगोठड़ी, झुन्झुनूं | 01.01.1960 | 31.12.2019 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षाराजस्थान,
बीकानेर

दिनांक : 25/02/2020

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवानिवृत्ति/अंग्रेजी/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :-

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय, झुन्झुनूं
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
7. प्रधानाचार्य, राउमावि बनगोठड़ी, झुन्झुनूं
8. श्री ब्रह्मा सिंह व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि बनगोठड़ी, झुन्झुनूं
9. निजी / रक्षित पत्रावली

सुर्यकंत निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर